न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना, आर.ए.एस.

(225 आर.टी.एक्ट)

[अपी]ल संख्या:- 56 / 2019

[आर].सी.एम.एस. संख्या:- 2019 / 00183

उनवान

1. श्रीमति सज्जन कंवर पुत्री जसवन्त सिंह पत्नि तेज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भावड़ तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर राजस्थान, हाल निवासी रामपुरी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।
2. श्रीमति पुष्पा कंवर पुत्री जसवन्त सिंह पत्नि भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भावड़ तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी सोखन डेरू तहसील जावद जिला नीमच मध्यप्रदेश।
3. श्रीमति सुनीता कंवर पुत्री जसवन्त सिंह पत्नि हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भावड़ तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी नांगल बोहरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान
4. शैलेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह माता ओम कंवर जाति राजपूत निवासी नांगल बोहरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

......अपीलान्टस / प्रार्थीगण

बनाम

1. लोकेन्द्र सिंह जादौन उर्फ उम्मेद सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भावड़ तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
2. श्रीमति माया कंवर पुत्री जसवन्त सिंह पत्नि सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी भावड़ तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर, हाल निवासी बिहावड़ा तहसील [illegible] जिला अलवर राजस्थान।
3. उप पंजीयक बामनवास, तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

....रेस्पोन्डेन्टस / अप्रार्थीगण

उपस्थित:-

1. श्री भगवानदास माली अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो सं० 04

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested

... तहसील राजगढ़ जिला अलवर (राज०)।

उप पंजीयक बामनवास, तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर।

क्रमशः

बामनवास (जिला-स०मा०)

Scanned with CamScanner

श्रीमति सज्जन कंवर वगैरह बनाम लोकेन्द्र सिंह वगैरह
अपील संख्या 56/19

–::निर्णय::–

दिनांक : 02.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड बामनवास जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 38/2018 बउनवान श्रीमति सज्जन कंवर वगैरह बनाम लोकेन्द्र सिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाद प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास के समक्ष अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात प्राथीगण व अप्रार्थीगण के पैतृक आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगणों को अप्रार्थीगणों के समान हर–हिस्सा जन्म से ही है। वे प्रथम श्रेणी की वारिसान है। प्रतिवादीगण इस विवादित आराजीयात को रहन वय करने पर आमदा है। अतः प्रतिवादीगण को मूल वाद के निपटारे तक मौके की स्थिति व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें ताकि वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण कोई मदाहमत उत्पन्न ना कर पाए। मातहत अदालत ने प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं होना मानकर दिनांक 31.10.2019 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 403 रकबा 0.04 है0, 529 रकबा 0.03 है0, 531 रकबा 0.05 है0, 535 रकबा 0.38 है0, 53[illegible] रकबा 0.29 है0, 537 रकबा 0.22 है0, 780 रकबा 2.79 है0, 781 रकबा 2.[illegible] है0, 782 रकबा 1.33 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 7.82 है0 ग्राम भावड़ तहसील [illegible] में स्थित है। स्व. जसवन्त सिंह ने अपने अपनी समस्त संपत्ति का बंटवारा अपने [illegible] पुत्र और पुत्रियों के मध्य कर दिया था। जिसके अनुसार सभी वारिसान का समान हिस्सा होना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेन्ट सं0 01 व स्व. मदन सिंह ने राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजीयात का नामान्तकरण स्वयं अपने नाम ही करवां लिया तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 के हिस्सों की आराजीयात को उनके हक में दर्ज करवाने का झूठा आश्वासन देते रहे। रेस्पोडेंटस् जबरन अपीलांटस् उनके हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। अपीलांटस/प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात में अपने हिस्से की घोषणा करवाने त[illegible] चाहते हुये दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। मातहत [illegible] बिना किसी आधार ठोस आधार के दिनांक 31.10.2019 को [illegible] अस्थाई

सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निषेधाज्ञा खारिज कर दिया। मातहत अदालत का उक्त निर्णय विधि के विपरीत किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय अपास्त फरमाया जावें। अपील मीमों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो० को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जवकि जवाव में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद विन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद का गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य वहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्राथिया अपने पिता के प्रथम श्रेणी की वारिस होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिन्दु परिवार में पुत्रियों को अपने पिता की जायदाद में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है, जिसे वे प्राप्त कर सकती है। अपीलांटस् अपने अपने हिस्से पर काविज काश्त है। विवादित आराजीयात जसवन्त सिंह की खातेदारी की है और प्रार्थीगण अपीलांट सं0 01 लगायत 03 जसवन्त सिंह की पुत्रीयां होने के कारण तथा प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह अपीलार्थी सं0 04 जसवन्त सिंह की पूर्व मृत पुत्री ओम कंवर का पुत्र अर्थात जसवन्त सिंह का "नाती" होने के कारण जसवन्त सिंह के वारिसान है और जसवन्त सिंह की [illegible] आराजीयात में विधिक हकदार है। लेकिन फिर भी मातहत [illegible] केस

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रमाणित नहीं होना मानकर भारी भूल की है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के समर्थन में दृष्टांत 2020(3) आर.एल.डब्लयू. 2136(एस.सी.), आर.आर.डी. 1996 पेज 361, 2018(1) सी.जे.(सीव0) (एस.सी.) 145, आर.आर.डी–14.09.2015 पेज 497 पेश किए।

9. रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजीयात में अपीलांटस्/प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 02 माप कंवर की कोई हिस्सेदारी नही है। स्व. जसवंत सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में कोई संपत्ति का बंटवारा नही किया गया तथा स्व. मदन सिंह जीवन पर्यन्त अप्रार्थी सं0 01 के पास ही रहा, उसी ने स्वयं की इच्छा से अपनी समस्त जायदाद अप्रार्थी सं0 01 को वसीयत में प्रदान की है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 पूर्णतया विधिक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

10. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

11. पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2074–2077 वाके ग्राम भावड़ अनुसार खसरा नम्बर 1444/778 रकबा 0.25 है0, 777 रकबा 0.73 है0 , 779 रकबा 1.30 है0 कुल रकबा 2.28 है0 मदनसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 528 रकबा 0.04 है0, 529 रकबा 0.03 है0, 531 रकबा 0.03 है0, 535 रकबा 0.38 है0, 536 रकबा 0.29 है0, 537 रकबा 0.22 है0, 780 रकबा 2.79 है0, 781 रकबा 2.69 है0, 782 रकबा 1.33 है0 कुल रकबा 7.82 है0 मदनसिंह पुत्र जसवंत सिंह हिस्सा 1/2 व लोकेन्द्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है।

12. अदालत मातहत में रेस्पो0/अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के जिमन नम्बर 2 में अपीलांटगण/प्रार्थीगण द्वारा अंकित सजरे को भी सही माना है तथा विवादित आराजियात को भी पैतृक माना है। प्रस्तुत सजरा अनुसार अपीलांटगण पैतृक सम्पत्ति में प्रथम श्रेणी की वारिसान है और जन्म से ही विवादित आराजीयात के समान हिस्से के हकदार है, काबिजकाश्त होते है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 धारा 6 (यथार्थ 2005 में सशोधित) के प्रभाव में आने के दिन को तथा उससे सहदायिक पुत्री पुत्र की भांति अपने स्वयं के अधिकार के द्वारा संपत्ति में सहदायिकी श्रेणी संशोधित प्रावधान विधिक रूप से सहदायिकों की पुत्रियों के अधिकार को जन्म से विधिक मान्यता प्रदान करता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत 2018(1) सी.जे.(सीव0) (एस.सी.) 145 यहां चस्पा होता है।

13. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट [illegible] पाए जाने से स्वीकार की जाती है। मातहत अदालत उप[illegible]

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

श्रीमति [illegible] बनाम [illegible] लोकेन्द्र सिंह [illegible]

अपील संख्या [illegible]

सुनवाई नंबर [illegible] / 2018 प्रकरण [illegible] श्रीमति [illegible] बनाम [illegible] लोकेन्द्र सिंह [illegible] के पारित निर्णय दिनांक [illegible] अपास्त किया जाकर [illegible] अधीनस्थ न्यायालय [illegible] को [illegible] एवं रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसला सुनाया होकर [illegible] दाखिल हो। निर्णय [illegible] आज दिनांक 02.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम [illegible])
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

उप पंजीयक [illegible], तहसील [illegible] जिला सवाई माधोपुर ।

क्रमशः